तय होगी फ्लाइट रद्द होने की जवाबदेही

65 उड़ानें बेंगलुरु से रद्द हुईं

134 फ्लाइट दिल्ली से से उड़ान नहीं भर सकीं

नईदिल्ली, 8 दिसंबर. नई दिल्ली, 08 दिसंबर. इंडिगो एयरलाइंस में लगातार छह दिनों तक चले परिचालन संकट और 3,900 के करीब उड़ानों की रद्दीकरण की घटनाओं ने भारत के विमानन क्षेत्र में बड़ी चिंता खड़ी कर दी है.

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइन के शीर्ष नेतृत्व पीटर

एल्बर्स और इसिड्रे पोरक्वेरस को पूछताछ के लिए समन भेजा है। यह पूछताछ डीजीसीए द्वारा गठित चार सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति करेगी, जिसका उद्देश्य परिचालन विफलता के वास्तविक कारणों की पहचान करना है। इस समिति में संयुक्त महानिदेशक संजय ब्रह्मणे, उप महानिदेशक अमित गुप्ता, वरिष्ठ उड़ान संचालन निरीक्षक कपिल मांगलिक और एफओओआई लोकेश रामपाल शामिल हैं। टीम जनशक्ति प्रबंधन, पायलट रोस्टरिंग सिस्टम, क्रू उपलब्धता और संशोधित उड़ान ड्यूटी टाइम लिमिटेशन प्रावधानों के अनुपालन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की गहराई से समीक्षा करेगी. बता दें बेंगलुरु एयरपोर्ट से 62 उड़ानें रवाना नहीं हुईं, 65 आगमन उड़ानें रद्द; दिल्ली में कुल 134 फ्लाइट्स रद्द की गईं. डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और कु को भेजे कारण बताओ नोटिस के जवाब देने की समयसीमा बढ़ा दी. बीएसई ने इंडिगो से स्पष्टीकरण मांगा; कंपनी के शेयर में 8 प्रतिशत की भारी गिरावट, एक महीने में 16.5 फीसदी मूल्य घटा.

सुनवाई से इनकार

उच्चतम न्यायालय ने इंडिगो एयरलाइंस की ओर से बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द किये जाने और देरी के कारण देश भर में उत्पन्न यात्री संकट पर सोमवार को चिंता व्यक्त की, लेकिन इसमें तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि लाखों यात्री हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं और इस व्यवधान के कारण कई लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा.

सीईओ को नोटिस

सूत्रों ने बताया कि इंडिगो ने बेंगलुरु हवाई अड्डे से रवाना होने वाली कई उड़ानें रद्द की हैं. वहीं दिल्ली हवाई अड्डे पर भी फ्लाइट्स कैंसिल की गईं. इनमें 75 उड़ानें रवाना होनी थीं जबकि 59 को यहां पहुंचना था. कारण बताओ नोटिस का जवाब देने की समयसीमा बढ़ी रविवार शाम को भारत में विमानन मामलों की निगरानी करने वाली संस्था डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स इसिड्रो पोरक्वेरास को नोटिस का जवाब देने की मियाद सोमवार शाम छह बजे तक के लिए बढ़ा दी है.

गुजरात में किसानों को नहीं मिल रहा इंसाफ

अरविंद केजरीवाल का भाजपा पर तीखा हमला

राजकोट में पीड़ित किसान परिवारों से मिले

राजकोट, 08 दिसंबर. गुजरात की राजनीति इन दिनों एक बार फिर तेज सियासी तापमान के बीच खड़ी है.

राजकोट में किसान परिवारों से मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर ऐसा हमला बोला, जिसने प्रदेश की चुनावी हवा को अचानक और तेज कर दिया है. केजरीवाल ने दावा किया कि हड़दड़ आंदोलन सिर्फ किसानों का विरोध नहीं, पूरे गुजरात में अन्याय चरम पर है.

> उन्होंने कहा कि आज गुजरात में भाजपा सरकार किसानों को पकड़-पकड़कर जेल में डाल रही है. आम आदमी के कई नेताओं को झूठे मामलों में बंद किया हुआ है. हर परिवार अपने बेटे के साहस पर गर्व करता है. हम उन परिवारों के साथ चट्टान के साथ खड़े हैं. पीड़ित के बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि गुजरात के किसान सिर्फ जमीन या करदा प्रथा के खिलाफ नहीं लड़ रहे, बल्कि उस व्यवस्था से लड़ रहे हैं जो उनकी आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है.

किसानों पर कथित पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज, आंसू गैस और 88 किसानों की गिरफ्तारी जैसे आरोपों ने इस मुद्दे को और तीखा बना दिया है. केजरीवाल ने इसे 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' से जोड़ते हुए कहा कि जैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर किया था. उन्होंने किसानों को सम्मानित करते हुए कहा कि उनका संघर्ष केवल अपने अधिकारों का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की न्याय की लड़ाई है.

सीमा पार मॉड्यूल का भंडाफोड़ पुलिस ने छह को किया गिरफ्तार

अमृतसर, 08 दिसंबर. पंजाब में अमृतसर आयुक्तालय पुलिस ने सोमवार को एक नाबालिग सहित छह गुर्गों को गिरफ्तार करके पाकिस्तान द्वारा संचालित सीमा पार हथियार तस्करी मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया है.

उनके कब्जे से छह अत्याधुनिक पिस्तौल बरामद किए हैं. पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने कहा कि गिरफ्तार लोगों की पहचान तरनतारन के कोटली वसावा सिंह गाँव निवासी गुरबीर सिंह, तरनतारन के खेमकरण गाँव निवासी गुरप्रीत सिंह, गोरका सिंह उर्फ गोरा, राजविंदर सिंह उर्फ राजू, अमृतसर के बच्चीविंड निवासी जसपाल सिंह उर्फ जस और सुल्तानपुर लोधी निवासी किशोर के रूप में हुई है. श्री यादव ने बताया कि शुरुआती जाँच से पता चला है कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक पाकिस्तानी हैंडलर के सीधे संपर्क में थे, जो हथियारों की खेप हासिल करने और आगे आपूर्ति करने के लिए निर्देशांक साझा कर रहे थे. उन्होंने बताया यह संगठित गिरोह माझा और दोआबा क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों को नापाक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हथियारों की ये खेप आपूर्ति कर रहा था. इस मामले में नेटवर्क के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज स्थापित करने तथा रिसीवर्स और वित्तीय चैनलों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है.

एक नजर में

जापान में 7.6 तीव्रता का भीषण भूकंप

टोक्यो, 08 दिसंबर. जापान में सोमवार रात धरती डोल उठी. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई है. इसके तुरंत बाद उत्तर-पूर्वी तट पर 3 मीटर (10 फीट) तक ऊंची सुनामी आने की चेतावनी जारी की गई है. प्रशासन ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कहा है. यह चेतावनी होक्काइडो, आओमोरी और इवाते प्रान्तों के लिए जारी की गई है, जहां खतरा सबसे ज्यादा है. भूकंप का केंद्र तट से दूर बताया जा रहा है, लेकिन इसके झटके इतने तेज थे कि लोग घरों से बाहर निकल आए. वहीं तुर्की में भी सोमवार को 5.5 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए. यह जानकारी जीएफजेड जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ने दी. स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 01.21 बजे आये भूकंप का केन्द्र, 92.1 किमी की गहराई पर 36.91 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30.89 डिग्री पूर्वी देशांतर पर निर्धारित किया गया. भूकंप में किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान होने की खबर नहीं है.

पैरिस के लूव्र म्यूजियम की लाइब्रेरी में घुसा पानी

पेरिस, 08 दिसंबर. फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित सुप्रसिद्ध संग्रहालय लूव्र म्यूजियम में पानी भर जाने मिस्र विद्या या मिस्रविज्ञान (इजिप्टोलॉजी) लाइब्रेरी की सैंकड़ों किताबें खराब हो गयी हैं. रविवार को संग्रहालय के उप प्रबंधक फ्रांसिस स्टेनबॉक के हवाले से बताया कि 26 नवंबर को हुई इस घटना से 300 से 400 किताबें प्रभावित हुईं. इनमें मिस्र की पढ़ाई से संबंधित पत्रिकाएं और वैज्ञानिक प्रलेखन शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल शोधकर्ता नियमित रूप से करते हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी ऐतिहासिक कलाकृति या चीज को नुकसान नहीं हुआ है और कोई भी ऐसा नुकसान नहीं हुआ है जिसे ठीक न किया जा सके या जो स्थायी हो.

यूरोप में कॉर्पोरेट की कोशिशें नाकाम

बिल्बाओ, 08 दिसंबर. यूरोप में काम के कारण हुई थकान (बर्नआउट) पूरे महाद्वीप में एक मानसिक स्वास्थ्य संकट को जन्म दे रही है. कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिये यूरोपीय एजेंसी के एक सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ है. सर्वेक्षण अनुसार, यूरोप के 30 देशों में करीब 50 प्रतिशत कर्मचारियों का मानना है कि उनके ऊपर काम का भार जरूरत से ज़्यादा है, जबकि 34 प्रतिशत का मानना है कि उनकी मेहनत को अहमियत नहीं दी जाती. करीब 16 प्रतिशत ने काम के दौरान उत्पीड़न का दावा किया है. इस दबाव की वजह से शोधकर्ताओं ने एक 'प्रचलित विरोधाभास' की पहचान की है.

करूर भगदड़ के बाद अभिनेता विजय आज करेंगे बड़ी रैली

पुडुचेरी, 8 दिसंबर. थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) करूर भगदड़ कांड के 70 दिन बाद पहली बार विशाल जनसभा करने जा रही है. 9 दिसंबर को पुडुचेरी के उप्पलम ग्राउंड में होने वाली इस रैली को विजय अपनी सिने-प्रसिद्धि को सियासी ताकत में बदलने का सबसे बड़ा मंच मान रहे हैं. रोड शो की इजाजत न मिलने के बाद टीवीके ने सीमित जनसभा की दूसरी अपील की. पुडुचेरी के सीएम एन रंगासामी ने कड़ी सुरक्षा शर्तों के साथ रैली को हरी झंडी दिखा दी. क्यूआर कोड से रैली में एंट्री मिलेगी और केवल 5000 लोगों को शामिल होने की इजाजत है.

भारतीय नागरिकों को परेशान नहीं करेगा चीन

नई दिल्ली 8 दिसम्बर. भारत ने उम्मीद जतायी है कि चीन उसे भरोसा दिलायेगा कि उसके हवाई अड्डों से गुजरने वाले भारतीय नागरिकों को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया जाएगा, मनमाने ढंग से हिरासत में नहीं लिया जाएगा और परेशान नहीं किया जाएगा. विदेश मंत्रालय की ओर से यह बात अरुणाचल प्रदेश के एक भारतीय नागरिक को शंघाई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए जाने के मद्देनजर कही गयी है. मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोमवार को

यहां साप्ताहिक ब्रीफिंग में सवालों के जवाब में कहा कि भारत को उम्मीद है कि चीन हवाई यात्रा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान करेगा. उन्होंने दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा.

> उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिकों को सलाह देगा कि चीन जाते या वहां से गुज़रते समय वे पूरी समझदारी से काम लें. उल्लेखनीय है कि पिछले महीने अरुणाचल प्रदेश की एक महिला यात्री को चीन से गुज़रने के दौरान शंघाई हवाई अड्डे पर कई घंटों तक हिरासत में रखा था और तब तक वहीं रखा गया जब तक भारतीय अधिकारी मामले को सुलझाने और उसकी यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए वहां नहीं पहुंच गए.

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां **नवभारत** के माध्यम से

कार्यालय अधीक्षक जिला जेल धार मध्यप्रदेश

Email: districtjaildhar@yahoo.co.in, Contact No.--07292-222203,
Video Conferencing ID: https://meet.jit.si/dharjail

क्रमांक / 1532 / निर्वाह / 2025, धार, दिनांक 03/12/2025

:: सीमित ई-निविदा आमंत्रण सूचना :-

जेल मुख्यालय म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 26607 / भवन / 23 / 2025 भोपाल दिनांक 21.11.2025 एवं 26609 / भवन / 56 / 2025 भोपाल दिनांक द्वारा जिला जेल धार परिसर में बंदी वार्डो एवं आवासीय परिसर में रनिंग वाटर तथा पानी की टंकी कार्य हेतु 3,49,744 / की राशि आवंटित की गई है। उक्त कार्य हेतु सीमित ई-निविदा विज्ञप्ति निम्नानुसार https://mptenders.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

निविदा कार्यक्रम का विवरण

क्र.	विवरण	दिनांक/समय	स्थान
1	प्री-बिड मिटिंग	दिनांक 10.12.2025 दोपहर 11:00 बजे	कार्यालय अधीक्षक जिला जेल धार
2	निविदा फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि	दिनांक 13.12.2025 प्रातः 12:00 बजे से	वेबसाईट https://mptenders.gov.inij ऑनलाईन क्रय किए जा सकेगे।
3	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि ।	दिनांक 17.12.2025 सायं 05:00 बजे	वेबसाईट https://mptenders.gov.inij ऑनलाईन प्रस्तुत की जावेगी ।
4	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 19.12.2025 दोपहर 01:00 बजे	कार्यालय अधीक्षक जिला जेल धार
5	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 20.12.2025 सांयकाल 05:00 बजे	कार्यालय अधीक्षक जिला जेल धार

नोटः- सीमित निविदा की विस्तृत जानकारी वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदा मे किया गया कोई भी संशोधन वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर अपलोड किया जावेगा, जिसकी सूचना जिला जेल धार के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी ।

अधीक्षकल
जिला जेल धार (म. प्र.)

G22420/25 ' बच्चों की मुस्कान है अनमोल, इसे सुरक्षित रखें हर हाल '

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निदेशों के अनुसार एनपीए के रूप में वगीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	126084772	संपत्ति के बदले ऋण	22.11.2025	7,21,231.74/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नामः 1. राहुल सिंह 2. धन्नू गोहिल

संपत्ति का पताः वह पूरा टुकड़ा और पार्सल प्लॉट/मकान नंबर 63, कुल क्षेत्रफल 441.28 वर्ग मीटर (4750.00 वर्ग फीट), खसरा नंबर 138 पर, ग्रामः तुलाहेड़ा, मंदिर के पास, पीएच नं. 47, वार्ड नंबर 13, तहसीलः घट्टिया, जिलाः उज्जैन, मध्य प्रदेश-456550, और इस प्रकार घिरा हुआः पूर्वः स्वयं खुली भूमि, पश्चिमः आम सड़क, उत्तरः कृषि भूमि राहुल पुत्र श्री होकम सिंह, दक्षिणः कमल सिंह का प्लॉट

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः 09.12.2025 **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड**
स्थानः उज्जैन **के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)**

THE JALGAON PEOPLES CO-OP. BANK LTD.

(Multi-State Scheduled Bank) since 1933

Regd.Office : 152, Polan Peth, Dana Bazar, Jalgaon 425001 (M.S.) Ph.0257-2227711 to 16. www.jpc.bank.in

Notice of Special General Meeting (For Members only)

Special General Meeting of the Members of the The Jalgaon Peoples Cooperative Bank will be held under Chairmanship of Mr. Aniket Bhalchandra Patil, on Tuesday 30th December 2025 at 8.30 A.M. at Yashwantrao Patil Muktangan, Saraswati Nagar, Jalgaon to consider the following business. Members are requested to attend the meeting.

Agenda

To consider and approve Draft-Scheme of Amalgamation of The Pusad Urban Cooperative Bank Ltd. Pusad, Dist. Yawatmal, with The Jalgaon Peoples Cooperative Bank Ltd. Jalgaon and submit proposal to Reserve Bank of India for the said amalgamation and authorize Managing Director & CEO of the Bank to take action accordingly.

By order of the Board
Place : Jalgaon (Maharashtra) **Rohit Pandurang Bhujbal**
Date : 08.12.2025 **Managing Director & CEO**

Note

If there is no quorum for the meeting at the given time, the meeting shall stand adjourned & will be conducted after half an hour on the same day and the Agenda of the meeting shall be transacted at the same venue irrespective of the quorum.

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

SMFG Grihashakti — Nayi Asha. Naya Vishwas.

कॉर्पोरेट कार्यालयः 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसिप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400051
पंजीकृत कार्यालयः कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरूर, चेन्नई - 600116, टीएन

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के प्रावधानों के अंतर्गत, मैं, अधिनियम के अंतर्गत एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे एसएमएचएफसी कहा जाएगा) का प्राधिकृत अधिकारी हूं तथा अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी करता हूं, जिसमें निम्नलिखित उधारकताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। नीचे हस्ताक्षरकर्ता का यथोचित मानना है कि उधारकर्ता(ऋणकर्ता) मांग नोटिस की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नोटिस की तामील नियमों के अनुसार चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग नोटिस की विषय-वस्तु नीचे उद्धृत की गई हैः

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या और उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता संपत्ति धारकों का नाम, जैसा भी मामला हो	सुरक्षित परिसंपत्तियों / बंधक संपत्ति का विवरण	डेमो नोटिस का विवरण धारा 13 (2) और संपूर्ण ओ/एस के तहत।
1	**लैनः 601639211369542** **1. राजेश विर्ले** **2. संगीता विर्ले** **पता : 28 माणिक बाग लाइन्स हनुमान वाटिका वाली गली इंदौर 452007**	ऑल दैट पीस एंड पार्सल भाग संख्या 37, भूमि पर सर्वेक्षण संख्या 110/2, 110/1 और 110/140, ग्राम बिलावली, वार्ड क्रमांक 77, पटवारी हल्का संख्या 09, तहसील जूनी इंदौर, जिला इंदौर। इसका प्रवेश क्षेत्र 600 वर्ग फुट है। संपत्ति पूर्व में अन्य सर्वेक्षण संख्या (भाग संख्या 42) की शेष भूमि, पश्चिम में सड़क, उत्तर में अन्य सर्वेक्षण संख्या (भाग संख्या 36) की शेष भूमि, दक्षिण में अन्य सर्वेक्षण संख्या (भाग संख्या 38) की शेष भूमि।	11.11.2025 रु. 1104421.00 (ग्यारह लाख चार हजार चार सौ इक्कीस मात्र) 07.11.2025 तक एनपीए तिथिः 05.11.2025
2	**लैनः 601707510202564** **1. राधेश्याम जयसवाल** **2. पपेरानी जयसवाल** **3. दयाश्री इंटरप्राइजेज** **पता : 1316 बड़ा बाजार उन्हेल उज्जैन 456221**	ऑल दैट पीस एंड पार्सल हाउस, नगरपालिका क्रमांक 918/1 नीमचौक बड़ा बाजार, उन्हेल तहसील नागदा, जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) संपत्ति की सीमा इस प्रकार हैः पूर्व-कॉमन रोड, पश्चिम-मिश्रीलाल के भाई का मकान, उत्तर-मिश्रीलाल के भाई का मकान, दक्षिण-कॉमन रोड क्षेत्रफल 77.03 वर्ग मीटर 828.84 वर्ग फुट	30.10.2025 रु. 2558234.28 (पच्चीस लाख अट्ठावन हजार दो सौ चौंतीस और अट्ठाईस पैसे मात्र) 29.10.2025 तक एनपीए तिथिः 05.10.2025

उधारकताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय के साथ भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि **एसएमएचएफसी** एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकताओं द्वारा बंधक रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के खिलाफ एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो **एसएमएचएफसी** सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके उन्हें स्थानांतरित करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। **एसएमएचएफसी** को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्तियों को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के बाद, **एसएमएचएफसी** को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, अगर गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य **एसएमएचएफसी** को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत **एसएमएचएफसी** को उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें उपलब्ध समय के संबंध में, सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को **एसएमएचएफसी** की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या उनसे निपटने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधि के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। डिमांड नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(ओं) यदि चाहें तो इसे नीचे हस्ताक्षरकर्ता से किसी भी कार्य दिवस में सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान : इन्दौर, उज्जैन मध्य प्रदेश
दिनांक : 11.11.2025/30.10.2025 **एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।**

एच.डी.एफ.सी. बैंक लि.

HDFC BANK — We understand your world

पंजीकृत कार्यालयः एच.डी.एफ.सी. बैंक हाऊस, सेनापती बापट मार्ग लोअर परेल (पश्चिम) मुम्बई 400013
शाखाः एच.डी.एफ.सी. हाऊस, 10-A/1, एम.जी. रोड, इन्दौर 452 001 **सीआईएनः** L65920MH1994PLC080618 **वेबसाईटः** www.hdfcbank.com

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूतिहित हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत।

जबकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठनअधिनियम 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के सपठित धारा 13(12) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** (पूर्ववर्ती एचडीएफसी लिमिटेड का दिनांक 17 मार्च 2023 के आदेश के तहत माननीय एनसीएलटी-मुंबई द्वारा अनुमोदित समामेलन की एक योजना के आधार पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निम्नलिखित ऋणियों/वैध वारिसों/वैध प्रतिनिधियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई दिनांक से 60 दिन के अंदर मांग सूचनाओं में अंकित राशियों के भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आमंत्रित किया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा ऋणियों/ सह-ऋणियों /वैध वारिसों/वैध प्रतिनिधियों को उनके अंतिम ज्ञात पते के परिसर में इन सूचनाओं को चस्पा कर दिया गया था तथा ऋणियों/ सह-ऋणियों/वैध वारिसों/वैध प्रतिनिधि यदि चाहे तो वे सामान्य कार्यालयीन समय के दौरान किसी भी कार्यदिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता से संबंधित प्रतिलिपी प्राप्त कर सकते है। उपरोक्त के संबंध में, एतद् द्वारा ऋणियों/सह-ऋणियों /वैध वारिसों/वैध प्रतिनिधियों को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त ऋणियों द्वारा निष्पादित, यदि कोई हो तो ऋण अनुबंध तथा अन्य लेख/दस्तावेज के स पठित निराकरण/भुगतान की दिनांक तक नीचे दिए गए कॉलम (सी) में अंकित संबंधित दिनांक से मांग सूचनाओं में वर्णित ब्याज सहित संबंधित नामों के समक्ष नीचे दी गई राशियों का इस सूचना प्रकाशन की दिनांक से **60 दिन** के अंदर एचडीएफसी को भुगतान करें। ऋण के देय भुगतान हेतु प्रतिभूति के रुप में क्रमशः निम्न सम्पत्तियाँ ऋणियों द्वारा एचडीएफसी को बंधक रखी गई है :-

ऋणी(यों)/ सह-ऋणी(यों)/कानूनी वारिस(सों)/ कानूनी प्रतिनिधि(यों)का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के सदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्रं.	ऋणीयों/वैध वारिसों तथा वैध प्रतिनिधियों के नाम	कुल बकाया राशि	मांग नोटिस की दिनांक	सुरक्षित आस्ति(यों)/ अचल संपत्ति (यों) का विवरण
(a)	(b)	(d)		(e)
1	**श्री विपिन कुमार** **श्रीमती पूजा हिरके** **पताः** बी-275, पुलक सिटी, देवास बाईपास के पास, राऊ, इंदौर - 452012 (म.प्र.)	**₹ 26,18,840/- + 14,40,558/- = 40,59,398/- दिनांक 31-10-2025 तक**	13-11-2025	यूनिट-502(ए) - ईस्ट-पार्ट, शिव सिटी सिल्वर, सर्वे नं.229, 237, मौजा, निहालपुर मुंडी, इंदौर - 453331, (म.प्र.) **क्षेत्रफल** 73.42 - वर्ग मीटर **चर्तुसीमाएँ :-** उत्तर में - कॉलोनी रोड, दक्षिण में - प्लॉट नंबर 503, पूर्व में - प्लॉट नंबर 501, पश्चिम में - प्लॉट का शेष भाग (502-बी एवं 502-सी)
2	**मोहम्मद अमीन** **श्रीमती नाबिला शेख** **पताः** प्लॉट नंबर 08, सुकुन विहार, ग्राम - खजराना, तहसील एवं जिला - इंदौर (म.प्र.),	**₹ 43,68,214/- + 9,64,437/- = 53,32,651/- दिनांक 31-10-2025 तक**	13-11-2025	प्लॉट नंबर 08, सुकुन विहार, ग्राम - खजराना, तहसील एवं जिला - इंदौर (म.प्र.) **क्षेत्रफल** – 79.39 वर्ग मीटर **चर्तुसीमाएँ :-** उत्तर - प्लॉट नंबर 09, दक्षिण - प्लॉट नंबर 07, पूर्व - अन्य प्लॉट, पश्चिम- कॉलोनी रोड
3	**श्री अजय सिंह** **श्रीमती बीना सिंह** **पताः** प्लॉट नंबर 19, सिल्वर स्टार सिटी, ग्राम - निहालपुर मुंडी, तहसील एवं जिला - इंदौर (म.प्र.)	**₹ 24,31,581/- + 2,83,081/- + 11,06,471/- = 38,21,133/- दिनांक 31-10-2025 तक**	13-11-2025	प्लॉट नंबर 19, सिल्वर स्टार सिटी, ग्राम - निहालपुर मुंडी, तहसील एवं जिला - इंदौर (म.प्र.) **क्षेत्रफल** – 92.936 वर्ग मीटर **चर्तुसीमाएँ :-** उत्तर में - प्लॉट नंबर 20, दक्षिण में - प्लॉट नंबर 18, पूर्व में- कॉलोनी रोड, पश्चिम में - प्लॉट नंबर 01
4	**श्री राहुल कुमार राजपूत** **श्री अशोक कुमार राजपूत** **पताः** फ्लेट-510, पाँचवी मंजिल, लोटस ब्लिस, प्लॉट नंबर एमआर-4, दिव्य विहार कॉलोनी, ग्राम जख्या, तहसील सांवेर, जिला इंदौर - 452010 (म.प्र.),	**₹ 18,13,565/- + 5,99,109/- + 64,268/- + 10,715/- = 24,87,657/- दिनांक 31-10-2025 तक**	13-11-2025	फ्लेट-510, पाँचवी मंजिल, लोटस ब्लिस, प्लॉट नंबर एमआर-4, दिव्य विहार कॉलोनी, ग्राम जख्या, तहसील सांवेर, जिला इंदौर - 452010 (म.प्र.), **फ्लेट क्षेत्रफल** – 76.39 वर्ग मीटर **चर्तुसीमाएँ :-** उत्तर में - ओपन एमओएस, दक्षिण में - फ्लेट नंबर 509, पूर्व में - ओपन एमओएस, पश्चिम में - फ्लेट नंबर 501 के बाद ओपन डक्ट
5	**श्री दीपक कुमार जायसवाल** (मृतक) **श्रीमती प्रीतिका जायसवाल पति श्री दीपक कुमार जायसवाल एवं श्री दीपक कुमार जायसवाल** (मृतक) के अन्य ज्ञात एवं अज्ञात कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि एवं उत्तराधिकारी **पताः** मकान नं.77/78, वार्ड 48, यूनिट-77, शास्त्री नगर, सर्वे नंबर 396, ब्लॉक नंबर 385, जावर रोड, ईस्ट निमाड़, खंडवा 450001 (म.प्र.)	**₹ 3,295,790/- + 83,13,604/- = 1,16,09,394/- दिनांक 31-10-2025 तक**	02-12-2025	मकान नं.77/78, वार्ड 48, यूनिट-77, शास्त्री नगर, सर्वे नंबर 396, ब्लॉक नंबर 385, जावर रोड, ईस्ट निमाड़, खंडवा - 450001 (म.प्र.) **प्लॉट क्षेत्रफल** – 250.92 वर्ग मीटर, ग्राउंड फ्लोर बिल्ट/अप - 198.42 वर्ग मीटर **प्रथम मंजिल बिल्ट/अप** – 97.58 वर्ग मीटर **चर्तुसीमाएँ :-** पूर्व - प्लॉट नंबर 78 पर मकान, पश्चिम - कॉलोनी रोड, उत्तर - प्लॉट नंबर 76 पर मकान, दक्षिण - कॉलोनी रोड
6	**डॉ. राधिका बंडी** **डॉ. अनिल बंडी** **पताः** मकान नं.4, लाड कॉलोनी, वाय.एन. रोड़, इंदौर - 452004 (म.प्र.)	**₹ 15,96,714/- दिनांक 31-10-2025 तक**	02-12-2025	फ्लेट-205ए, 205बी, दूसरी मंजिल, बड़वानी प्लाज़ा, प्लॉट नंबर 12, ओल्ड पलासिया, इंदौर (म.प्र.), **फ्लेट नं.205-ए क्षेत्रफल सुपर बिल्ट/अप** – 60.40 वर्ग मीटर **एवं फ्लेट नं.205-बी – क्षेत्रफल सुपर बिल्ट/अप** – 56.04 वर्ग मीटर फ्लेट नं.205 सुपर बिल्ट/अप कुल क्षेत्रफल- 116.44 वर्ग मीटर **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - सड़क, पश्चिम - पैसेज के बाद फ्लेट नं.208, उत्तर - प्रकोष्ठ नं. 210, दक्षिण - सीढ़ियाँ एवं लिफ्ट
7	**डॉ. राधिका बंडी** **डॉ. अनिल बंडी** **पताः** मकान नं.4, लाड कॉलोनी, वाय.एन. रोड़, इंदौर - 452004 (म.प्र.)	**₹ 16,88,207/- दिनांक 31-10-2025 तक**	02-12-2025	फ्लेट-210, दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 12, बड़वानी प्लाजा ओल्ड पलासिया, इंदौर (म.प्र.) **फ्लेट क्षेत्रफल सुपर बिल्ट/अप** – 122.02 वर्ग मीटर **चर्तुसीमाएँ:** पूर्व - सड़क, पश्चिम - गलियारा (मार्ग), उत्तर - फ्लेट नंबर 211, दक्षिण - फ्लेट नंबर 205
8	**श्री आशीष कुमार मिठास** **श्रीमती नीलम मिठास** **पताः** यूनिट - 53 राजेंद्र निकेतन सर्वे नंबर 462/1/2, 462/2/1, ग्राम -लिंबोदगिरी, तहसील हातोद, जिला इंदौर - 454441 (म.प्र.)	**₹ 7,82,264/- + 13,50,547/- = 21,32,811/- दिनांक 31-10-2025 तक**	02-12-2025	यूनिट-53, राजेंद्र निकेतन, सर्वे नंबर 462/1/2, 462/2/1, ग्राम लिंबोदगिरी, तहसील हातोद, जिला इंदौर - 454441 (म.प्र.), **क्षेत्रफल** – 93.21 वर्ग मीटर, **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - कॉलोनी रोड, पश्चिम - कॉलोनी की बाउंड्री वॉल, उत्तर - प्लॉट नंबर 54, दक्षिण - प्लॉट नंबर 52
9	**श्री आशीष कुमार मिठास** **श्रीमती नीलम मिठास** **पताः** यूनिट - 54 राजेंद्र निकेतन सर्वे नंबर 462/1/2, 462/2/1, ग्राम -लिंबोदगिरी, तहसील हातोद, जिला इंदौर - 454441 (म.प्र.)	**₹ 7,87,391/- + 13,36,925/- = 21,24,316/- दिनांक 31-10-2025 तक**	02-12-2025	यूनिट-54, राजेंद्र निकेतन, सर्वे नंबर 462/1/2, 462/2/1, ग्राम लिंबोदगिरी, तहसील हातोद, जिला इंदौर - 454441 (म.प्र.), **क्षेत्रफल** – 94.60 वर्ग मीटर, **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - कॉलोनी रोड, पश्चिम - कॉलोनी की बाउंड्री वॉल, उत्तर - प्लॉट नंबर 55, दक्षिण - प्लॉट नंबर 53

* आगे प्रतिवर्ष ब्याज जो लागू हो आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित निराकरण/भुगतान होने की दिनांक तक।
यदि ऋणी उपरोक्तानुसार एचडीएफसी को भुगतान करने में असफल होते है तो एचडीएफसी उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत तथा लागू नियमों के तहत सुरक्षित संपत्तियो/ अचल संपत्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने को बाध्य होगी जिसके परिणाम व लागत की सम्पूर्ण जवाबदारी ऋणि(यों)/वैध वारिसों(सों)/वैध प्रतिनिधियों(यों) की रहेगी।
उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत ऋणी(यों)/वैध वारिस(सों)/वैध प्रतिनिधी(यों) एचडीएफसी की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियो/ अचल संपत्तियों को किसी भी तरह के विक्रय, लीज़ या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण हेतु प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों या इसके अधिन नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया जाएगा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कैद या जुर्माने का पात्र होगा।

स्थान : इंदौर वास्ते/– प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 09-12-2025 **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड**